भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2479
(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंजाब में मनरेगा के अंतर्गत अनियमितताएं

2479. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत निधियां चुकाने में पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं और धोखाधड़ी की कोई जांच शुरू की है;
(**ख**) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;
(**ग**) क्या अधिकारियों द्वारा फर्जी नामों और पहचान के तहत करोड़ों रुपयों की धनराशि के कथित घपले के लिए कोई आरोपपत्र तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(**घ**) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई शुरू की गई है;
(**ङ**) क्या सरकार का इस घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(**च**) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): जी, हां। मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में जांच के साथ-साथ उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। कुछ केसों में मामलों की छानबीन के लिए केंद्रीय टीम, विशेष राष्ट्रीय जांच टीम को भी भेजा जाता है। पारर्दिशता और उत्तरदायित्वता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग,

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस), आधार आधारित भुगतान योजना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लोकपाल की नियुक्ति और सामाजिक स्वतंत्र लेखा इकाइयों की स्थापना तथा रोजगार के लिए ग्रामीण दर का प्रयोग करके अनुमान आकलन के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है। समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष समीक्षा भी की जाती है।

पंजाब राज्य सरकार से संबंधित शिकायत मिलने पर शिकायत की छानबीन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल की नियुक्ति की गई है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के लिए राज्य को विस्तृत जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने कई उपाए किए हैं जैसे जिम्मेदार अधिकारियों से धनराशि की वसूली और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इससे संबंधित विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पंजाब राज्य से संबंधित एक दूसरी शिकायत में एनएलएम दल को दो बार भेजा गया लेकिन कोई उल्लिखित अनियमितता नहीं पाई गई।

****

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 2479 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	**संबंधित जिले**	**जांच समिति रिपोर्ट**	**जांच समिति द्वारा सूचित धनराशि की वसूली/ अनियमितताएं**	**धनराशि की वसूली और की गई कार्रवाई**	**लंबित धनराशि वसूली और की जाने वाली कार्रवाई**	**अनुशासनात्मक कार्रवाई**	**प्रस्तावित अपराधिक कार्रवाई**
1	फरीदकोट	विशेष सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अनियमितता के लिए निम्न अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया है: 1. ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी, ब्लॉक फरीदकोट 2. सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक फरीदकोट 3. तकनीकी सहायक 4. ग्राम रोजगार सहायक	11 लाख रु.	11 लाख रु. की धनराशि वूसल की गई	शून्य	दो ब्लॉक सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के विरूद्ध **अनुशासनात्मक कार्रवाई** की गई। सहायक कार्यक्रम अधिकारी, 3 तकनीकी सहायकों और 2 ग्राम रोजगार सहायकों की दो साल की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।	लागू नहीं
2	श्री मुक्तसर साहेब	एडीसी (डी), भटिंडा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी अनियमितता के लिए जिम्मेदार है। 1. सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक गिद्दड़बाहा 2. ग्राम रोजगार सहायक	31 लाख रु.	31 लाख रु. वसूल किए गए	शून्य	लागू नहीं	
3	फरीदकोट	निम्नलिखित को शामिल करते हुए 4 सदस्यों की समिति गठित की गई है। 1. संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत। 2. कार्यकारी अभियंता, मंडी बोर्ड, फरीदकोट। 3. उप प्रभागीय न्यायाधीश, फरीदकोट।	4333/-	4333/- वसूल किए गए और	शून्य	अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पांखी कंला को उनकी सेवा से निलंबित कर दिया गया।	लागू नहीं

क्र.सं.	संबंधित जिले	जांच समिति रिपोर्ट	जांच समिति द्वारा सूचित धनराशि की वसूली/ अनियमितताएं	धनराशि की वसूली और की गई कार्रवाई	लंबित धनराशि वसूली और की जाने वाली कार्रवाई	अनुशासनात्मक कार्रवाई	प्रस्तावित अपराधिक कार्रवाई
		4. आईटी प्रबंधक, नरेगा फरीदकोट। समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत पांखी कंला के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।					
4	श्री मुक्तसर साहेब	जांच रिपोर्ट के अनुसार अनियमितता में शामिल निम्नलिखित कर्मचारियों से धनराशि वसूल की गई 1. सहायक कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक गिद्दड़बाहा 2. तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत गुरूसर और चक गिल्जेवाला 3. ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत गुरूसर 4. ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत गिल्जेवाला	1.74 लाख रु.	1.74 लाख रु. वसूल किए गए	शून्य	एपीओ, टीए और जीआरएस को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।	लागू नहीं